न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कोर्ट संख्या–03,अलीगढ ।

प्रकीर्ण प्रार्थनापत्र संख्या–144 / 11 / 2015

श्रीमती भावना वनाम मनोज कुमार आदि

प्रार्थनापत्र धारा–156(3)द0प्र0स0

थाना–अतरौली,,अलीगढ ।

<u>दिनांक–22–09–2015</u>

प्रार्थना पत्र आज आदेशार्थ प्रस्तुत हुआ । प्रार्थिया के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व नियत दिनांक पर सुना जा चुका है।

प्रार्थिया माधुरी कुशवाह की ओर से विपक्षी महीपाल सिंह के विरूद्व प्रार्थनापत्र धारा–156(3) द0प्र0स0 के तहत थाना गांधी पार्क पर मुकदमा दर्ज कर विवेचना कराये जाने के आदेश पारित किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है ।

प्रार्थिया द्वारा अपने प्रार्थना पत्र मे कथन किया गया है कि प्रार्थिया के पति मनोज कुमार व उसके परिवार वालों ने दहेज के ऊपर प्रार्थिया से मारपीट की और घर से निकाल दिया था। एक माह पूर्व ससुराल वालों ने यह कहकर कि हम इसे दुबारा परेशन नहीं करेंगे,फैसला कर ले गये थे। दिनांक 18–7–2015 को प्रार्थिया के पति व ननदोई श्री डिगम्बर ने कहा कि उसके पिता की तबियत बहुत ही खराब है। इस बहाने से रात को करीब 9 बजे ससुराल से कार से लेकर आए और प्रार्थिया को रास्ते में दोनों ने कोल्डड्रिंग में कुछ विषैला पदार्थ डालकर पिला दिया। इसके प्रार्थिया थोड़ी बेहोश सी होने लगी तथा अतरौली से पहले डिग्री कॉलेज से पहले बम्बा पर जंगल में ले जाकर कार रोककर रात्रि के 10 बजे प्रार्थिया के पति ने कहा कि आज साली तेरी जिन्दगी बर्बाद कर देंगे। तभी प्रार्थिया के ननदोई दिगम्बर व एक अन्य व्यक्ति जो पहले से वहॉ मौजूद था, जिसको सामने आने पर प्रार्थिया पहचान सकती है, ने मिलकर मेरे साथ बुरा काम बालात्कार बारी–बारी से किया तथा उसके पति ने उसे नंगा कर कपड़े उतार, बाल पकड़कर खींच–खींच कर मेरे सीने पर पैर रखकर काफी मारा–पीटा और कहा कि अब हमने तेरा पूरा इंतजाम कर दिया है। प्रार्थिया को हल्की बेहोशी की हालत में छोड़कर कार से भाग गये। आस–पास उसे कोई व्यक्ति नहीं दिखाई नहीं दिया, राज भर प्रार्थिया वहीं पड़ी रहीं। सुबह प्रार्थिया के घर खबर करायी तब उसके पिता बुद्धसैन, सेरेन्द्र सिंह वगैरा चार–छः लोग अतरौली आये जिन्होंने मुझे कपड़े पहनाकर संभला। प्रार्थिया ने लोक–लिहाज व रिश्तेदारी के कारण रिपोर्ट नहीं की क्योंकि प्रार्थिया के घर वालों ने कहा था कि पहले बात करेंगे। ऐसा क्यों किया, उसी दिन घर व गॉव वाले लोग ससुराल गये तो वहॉ पर कोई नहीं मिला ससुर से शिकायत करने पर कहा कि लड़कों ने जो किया अच्छा किया है। अब तू हमारे घर लायक नहीं है। हम मुझे किसी भी कीमत पर नहीं रखेंगे। प्रार्थिया ने यह प्रार्थना पत्र थाने पर मुकदमा दर्ज कराये जाने के आशय से पेश किया।

प्रार्थनापत्र के समर्थन मे स्वंय का शपथपत्र दाखिल किया गया है ,एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ,अलीगढ को प्रेषित आवेदन पत्र व रजि0 की रसीद की छायाप्रति दाखिल की गई है ।

प्रार्थनापत्र के सन्दर्भ मे थाने से आख्या आहूत की गई । प्रार्थनापत्र मे अंकित घटना के सम्बन्ध मे थाने पर कोई अभियोग पंजीकृत होना नही बताया गया है ।

प्रार्थनापत्र के सन्दर्भ मे प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी तथा उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का सम्यक परिशीलन किया ।

प्रार्थिया द्वारा अपने प्रार्थनापत्र मे कथन किया है कि अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर प्रार्थिया के पति की उपस्थिति में ननदोई व एक अन्य व्यक्ति ने प्रार्थिया के साथ बलात्कार किया । प्रार्थना पत्र के कथन से स्पष्ट है कि विपक्षीगण प्रार्थिया के पति व ननदोई है थाने से प्राप्त आख्या अनुसार थाने पर कोई अभियोग पंजीकृत नही है। अतः इस सम्बन्ध में धारा– 156(3)द0प्र0स0 के तहत कोई आदेश पारित किये जाने से पूर्व मेरे द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित विधि व्यवस्था श्रीमती प्रियंका श्रीवास्तव एवं अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य आदि कि0 अपील नम्बर 781/2012 का ससम्मान अवलोकन किया ।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित विधि व्यवस्था के अनुपालन में सर्वप्रथम प्रारम्भिक जॉच कराया जाना आवश्यक है और इस सम्बन्ध में थानाध्य क्ष अतरौली को आदेशित किया जाता है कि वह मामले मे प्रार्थना पत्र के कथानानुसार किसी संज्ञेय अपराध होने के सम्बन्ध में एक प्रारम्भिक जॉच आदेश एवं प्रार्थना पत्र की कापी प्राप्त होने के अन्दर सात दिन करत हुये आख्या प्रस्तुत करे।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रैट,
कोर्ट संख्या–03,अलीगढ ।